

प्रेषक,
सचिव,
उ०प्र०, बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज।

सेवा में,
विशेष सचिव,
बेसिक शिक्षा, शिक्षा अनुभाग-5
उ०प्र० शासन, लखनऊ।

पत्रांक : बे०शि०प० / 12083

/2019-20, दिनांक- 15-10-19

विषय:- मृतक आश्रितों के सेवायोजन सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 09 सितम्बर, 2019 की कार्यवृत्त से सम्बन्धित कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:842/68-5-2019, दिनांक 20 सितम्बर, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो मृतक आश्रितों के सेवायोजन सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 09 सितम्बर, 2019 की कार्यवृत्त से सम्बन्धित कार्यवाही के सम्बन्ध में हैं।

उक्त कार्यवृत्त पर अपेक्षित कार्यवाही के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या निम्नवत है :-

1- बिन्दु संख्या-2 (i) मृतक आश्रितों का डेटाबेस एक निर्धारित प्रारूप पर तैयार किया जाना- उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मृतक आश्रितों का डेटाबेस उक्त शासनादेश में निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-बे०शि०प०/10628-10713/2019-20, दिनांक 11.09.2019 एवं पत्र संख्या-10989-11083/2019-20, दिनांक 13.09.2019 के द्वारा समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिनांक 18.09.2019 तक सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देश प्रेषित किये गये थे, जिसके क्रम में 22 जनपदों द्वारा ही सूचना उपलब्ध करायी गयी। जिनमें 10 जनपदों द्वारा ही प्रारूप-01 की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करायी गयी। सूचनायें शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या-बे०शि०प०/12082-177/2019-20, दिनांक 27.09.2019 के द्वारा समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अनुस्मारक प्रेषित किया गया तथा इस कार्यालय के पत्रांक-बे०शि०प०/12178-79/2019-20, दिनांक 27.09.2019 द्वारा शासन को पत्र लिखकर 02 सप्ताह का अतिरिक्त समय प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया गया।

उक्त के क्रम में कतिपय जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना त्रुटिपूर्ण थी। किसी जनपद ने केवल प्रारूप-01 की सूचना उपलब्ध करायी तो किसी ने केवल प्रारूप-02 की किसी ने सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करायी तो किसी ने हार्डकॉपी। तत्क्रम में समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश प्रेषित किये गये कि दिनांक 14.10.2019 को सायं 05 बजे तक निर्धारित प्रारूप पर सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में अनिवार्य रूप से सूचना उपलब्ध कराई जाए।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा जो सूचनायें उपलब्ध करायी जा रही हैं, उनको एकत्र कर संकलित किया जा रहा है। अद्यतन 72 जनपदों से सूचनायें (सॉफ्ट/हार्ड कॉपी) प्राप्त हो चुकी हैं।

१/१५/१०/१९

2- बिन्दु संख्या-2 (ii) 25 जनपदों में तृतीय श्रेणी के 45 रिक्त पदों (परिषदीय) की पूर्ति के सम्बन्ध में- उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अद्यावधिक स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिये गये थे। तत्कम में अवगत कराना है कि 45 पदों में से 08 पदों पर मृतक आश्रित सेवायोजित किये जा चुके हैं। 16 पद पदोन्नति के पद हैं तथा शेष 21 पद रिक्त हैं।

उपरोक्त के कम में 21 रिक्त पदों के सापेक्ष 03 पद कमशः जनपद-पीलीभीत, बांदा एवं अम्बेडकर नगर के माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है तथा जनपद हापुड़ में 01 पद पर अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। शेष 17 सीधी भर्ती के पदों पर मृतक आश्रित अभ्यर्थियों के नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है।

3- बिन्दु संख्या-2 (iii) ऐसे मृतक आश्रित जिनकी प्रशिक्षण अर्हता पूर्ण है तथा वे अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी0ई0टी0) उत्तीर्ण हैं, उन्हें शिक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान किया जाना- उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या-बे0शि0प0/13800-895/2018-19, दिनांक 06.12.2018 द्वारा इस सम्बन्ध में परिपत्र जारी किया गया है। कार्यवृत्त दिनांक 20 सितम्बर, 2019 के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्र संख्या-बे0शि0प0/12540-634/2019-20, दिनांक 10.10.2019 को पुनः बी0एड0, टी0ई0टी0/सी0टी0ई0टी0 (प्राथमिक स्तर) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत परिपत्र जारी कर दिया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

भवदीय

15.10.19

श्रीमती(रुबी सिंह)

सचिव,

उ0प्र0, बेसिक शिक्षा परिषद,

प्रयागराज।

15/10/19

प्रेषक,

सचिव,
उ०प्र०.बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: बे०शि०प० / 12540-634 / 2019-20, दिनांक- 10-10-19

विषय- मृतक आश्रित नियमावली के अन्तर्गत बी०एड०, टी०ई०टी०/सी०टी०ई०टी० (प्राथमिक स्तर) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के परिपत्र संख्या-बे०शि०प० / 13800-895 / 2018-19, दिनांक 06.12.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो मृतक आश्रित नियमावली के अन्तर्गत बी०एड०, टी०ई०टी०/सी०टी०ई०टी० (प्राथमिक स्तर) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध में कतिपय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा पृच्छा की जा रही है कि बी०एड०, टी०ई०टी०/सी०टी०ई०टी० (प्राथमिक स्तर) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाय अथवा नहीं।

आप अवगत है कि परिषद कार्यालय के परिपत्र दिनांक 06.12.2018 द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 के बाइसवें संशोधन के नियम-08 में निर्धारित शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता के आधार पर नियुक्ति हेतु निर्देश दिये गये हैं। नियमावली के बाइसवें संशोधन के अनुसार एन०सी०टी०ई० द्वारा प्राक्घानित शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु अर्ह माना गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन०सी०टी०ई०) द्वारा दिनांक-28 जून, 2018 को शिक्षा स्नातक (बी०एड०) योग्यता धारी तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी०ई०टी०/सी०टी०ई०टी०, प्राथमिक स्तर) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक पद हेतु निर्धारित योग्यता में सम्मिलित किया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा (तेईसवां संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम-08 में सहायक अध्यापकों हेतु शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता का स्पष्ट उल्लेख है। ऐसी स्थिति में बी०एड० एवं टी०ई०टी०/सी०टी०ई०टी० (प्राथमिक स्तर) उत्तीर्ण मृतक आश्रित अभ्यर्थियों हेतु सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में संशय का कोई औचित्य नहीं है।

अतः ऐसे मृतक आश्रित अभ्यर्थी जो उपरोक्तानुसार शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता धारित करते हों और सगत नियमावली के अनुसार अन्यथा शर्तें पूर्ण करते हों, वे परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर मृतक आश्रित के रूप में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अर्ह समझे जायेंगे।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

श्रीमती(रूबी सिंह)

सचिव

उ०प्र०.बेसिक शिक्षा परिषद
प्रयागराज।

पू०सं०: बे०शि०प० / 12540-634 / 2019-20, दिनांक-उक्तवत्। 2/10/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश।
- 3- कार्यालय गार्ड फाइल हेतु।

श्रीमती(रूबी सिंह)

सचिव

उ०प्र०.बेसिक शिक्षा परिषद
प्रयागराज।

2/10/19